बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: **संकल्प** ::

पटना–15, दिनांक..................

श्री कुमार अजित सिंह, बि०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी–सह–कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध पशुपालन घोटाला से संबंधित सी0बी0आई0 केश नं0–78/ए/1996 पैट में विपत्रों के पारित करने, सामान्य विवेक से काम नहीं लेने, फलस्वरूप रू0 3,24,964 (तीन लाख चौबीस हजार नौ सौ चौंसठ रूपये) की छ्दम निकासी होने एवं सरकार को वित्तीय क्षति संबंधी गंभीर आरोपों पर श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–7728 दिनांक 30.10.2000 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए संचालन पदाधिकारी विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन विभागीय जांच आयुक्त के पत्रांक 638/सी0डी0आई0 दिनांक–23.10.2007 द्वारा प्राप्त हुआ। इसी बीच श्री सिंह दिनांक 31.01.2009 को सेवानिवृत्त हो गये। अतएव विभागीय पत्रांक–3448 दिनांक–07.12.2006 के आलोक में उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत विभागीय संकल्प संख्या–5003 दिनांक–29.05.2009 द्वारा सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक–5270 दिनांक–04.06.2009 एवं पत्रांक–7224 दिनांक–24.07.2009 द्वारा श्री सिंह के गृह पता पर भेजते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा विभाग को समर्पित किया गया।

संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त श्री सिंह को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9396 दिनांक–17.09.2009 द्वारा **पेंशन से 10% की कटौती का दंड** अधिरोपित/संसूचित किया गया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जी0सी0 सं0–18055/2010 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–21.06.2018 को न्यायादेश पारित किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

Moreover, the impugned order dated 17.09.2009 also does not comply with the provisions of Rule 43 (b) of Bihar Pension Rules, 1950 to the effect that for inflicting punishment under Rule 43(b) of Bihar Pension Rules, it is necessary to come to a conclusion of grave misconduct on the part of the delinquent or pecuniary loss having been caused to the Government on account of the misdeeds of the delinquent, however in the present case, there is no such finding, hence the order of punishment dated 17.09.2009 is not sustainable in the eyes of law and is accordingly, quashed. Since the original order of punishment dated 17.09.2009 has been set aside, consequently the appellate order dated 08.06.2010 is bound to fall and is accordingly, quashed.

सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–18055/2010 में पारित न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा एल0पी0ए0 सं0–1682/2018 दायर किया गया है, जो लम्बित है।

इसी बीच श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एम0जे0सी0 सं0–5317/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–29.01.2020 को माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

The learned counsel for the contemnors seeks one more opportunity to comply the order of this Court dated 21.06.2018 passed in CWJC No.-18055/2010.

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय आदेश सं0–9396 दिनांक–17.09.2009 द्वारा श्री सिंह को दी गयी शास्ति **(10% पेंशन से कटौती का दण्ड)** को इस शर्त के साथ वापस लिया जाता है कि एल0पी0ए0 सं0–1682/2018 में पारित न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा। श्री सिंह को सेवानिवृत्ति से संबंधित पूर्ण वित्तीय लाभ देय होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(उदय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

(2) आ० ह०

ज्ञापांक–27/मु0–05–06/2019, सा०प्र०, 1700 **/पटना, दिनांक** 3-2-2020

निबंधित
स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची/आयुक्त, पाकुड़/आयुक्त पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां/जिला पदाधिकारी, पूर्णियां/कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़, झारखंड/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियां/कोषागार पदाधिकारी, पटना/श्री कुमार अजित सिंह, बी–304, संजना शासत्वम अर्पामेन्ट, आरा गार्डेन रोड, निकट जगदेश पथ, बेली रोड, पटना–800014/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, चारित्री कोषांग, एवं आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/1/20

सरकार के अवर सचिव।